महत्वपूर्ण एवं खास

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की हुई नवीन पदस्थापना
कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में पदस्थ तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त नवीन कार्य स्थल पर कार्य करने हेतु आदेश जारी किया है। इनमें तहसीलदार पुसौर नंदकिशोर सिन्हा को तहसीलदार लैलूंगा बनाया गया है। इसी तरह तहसीलदार तुलसी राठौर को अतिरिक्त तहसीलदार रायगढ़, तहसीलदार शिवम पाण्डेय को तहसीलदार पुसौर, नायब तहसीलदार महेन्द्र कुमार लहरे को प्रभारी तहसीलदार छाल, नायब तहसीलदार सुश्री नेहा कौशिक को नायब तहसीलदार पुसौर, नायब तहसीलदार शिवनंदन साकेत को प्रभारी तहसीलदार मुकडेगा, नायब तहसीलदार सहोदर राम को नायब तहसीलदार घरघोड़ा एवं नायब तहसीलदार (परि.)सुश्री रश्मि पटेल को नायब तहसीलदार तमनार की जिम्मेदारी दी गई है।

जिले में 512.9 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 2 अगस्त तक 512.9 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 24.1 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 482.1 मिली मीटर, पुसौर में 590.5, खरसिया में 329.6, घरघोड़ा में 418.7, तमनार में 525.3, लैलूंगा में 529.2, मुकडेगा में 606, धरमजयगढ़ में 546.3, छाल में 438.5 एवं कापू में 662.6 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

प्रधान आरक्षक प्रभु दान कुजूर और आरक्षक सोमनाथ राम हुए सेवानिवृत्त पुलिस कार्यालय में दी गई विदाई

रायगढ़। जिला पुलिस बल रायगढ़ में कार्यरत जिले के 2 पुलिसकर्मी 31 जुलाई को अपनी अधिवार्षिकी 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर जिला पुलिस बल से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मी प्रधान आरक्षक प्रभु दान कुजूर और आरक्षक शोभनाथ राम बेहद कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी रहे हैं। कल पुलिस कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा द्वारा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वस्थ एवं दीर्घायु की शुभकामनाएं दिया गया। प्रधान आरक्षक प्रभुदान कुजूर लंबे समय से पुलिस कार्यालय के वेतन शाखा में कार्यरत थे, उनका व्यक्तित्व आत्मीय व मिलनसार होने पर उनके रिटायमेंट पर साथी स्टाफ काफी भावुक थे। सभी ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें स्वस्थ जीवन की शुभकामनायें दिया गया। प्रभुदान कुजूर मूलत: जिला कांसाबेल जशपुर के रहने वाले हैं जो वर्तमान में ढिमरापुर रायगढ़ में अपने परिवार समेत निवासरत है। वहीं शोभनाथ राम अपने दो लड़की व एक पुत्र के साथ ग्राम गोरखा में निवासरत हैं। दोनों अविभाजित मध्यप्रदेश के जिला भोपाल और ग्वालियर में आरक्षक के पद पर भर्ती होकर रायगढ़ स्थानांतरण में आकर करीब 39-40 वर्ष की सेवा पुलिस विभाग को दिया गया है।

कलेक्टर ने की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और जानकारी अपडेट करने की अपील

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष संक्षित पुनरीक्षण कार्यक्रम 02 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और जानकारी अपडेट करने की अपील की है कि नये मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के अलावा संशोधन, परिवर्तन संबंधित मतदान केन्द्र में जाकर फॉर्म 6, 7 या 8 भरकर अथवा बीएलओ के माध्यम से भी किया जा रहा है। ऐसे युवक युवती जो 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

मतदान का संदेश लेकर निकली सायकल रैली, कलेक्टर सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी : रैली में गूंजा ‘चला रईगढ़िया, वोट देवईया’ का नारा

- स्कूली बच्चों के साथ दिव्यांग एवं तृतीय लिंग समुदाय हुए शामिल, दिखा उत्साह
- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने मतदान की दिलाई शपथ
- सायकल रैली के साथ शुरू हुआ स्वीप सतरंगी माह, पूरे जिले में होंगे विविध कार्यक्रम

रायगढ़। स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित मतदाता जागरूकता रैली को आज कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में मतदाता जागरुकता स्लोगन के साथ स्कूली बच्चें, दिव्यांगजन एवं तृतीय लिंग समुदाय भी शामिल हुए। अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव भी उपस्थित रहें।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के फलस्वरूप स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया हैं। 02 अगस्त से निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ हैं, जो 31 अगस्त तक चलेगा। इस बीच जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 पूर्ण होती है, वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि आज से जिले के सभी मतदान केन्द्रों में निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) का प्रकाशन किया जा रहा है। जहां बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के साथ नाम जुड़वाना, सुधार एवं विलोपन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर सिन्हा ने सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सिन्हा के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित ना रहे। इस लक्ष्य के साथ जिले में स्वीप सतरंगी माह कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, जो आज से प्रारंभ हुई हैं। स्वीप सतरंगी माह के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की जा रही है।

इस दौरान अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतु हेमनानी, एसडीएम गगन शर्मा, निर्वाचन पर्यवेक्षक फकीर मोहन षडंगी, प्राचार्य राजेश डेनियल सहित कलेक्टोरेट के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्कूली बच्चों के साथ तृतीय लिंग, दिव्यांगजनों में दिखा उत्साह- स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित रैली में कलेक्टर सिन्हा के साथ स्कूली बच्चों ने अपने सायकिल में मतदाता जागरुकता से संबंधित संदेशों के बोर्ड लगा कर निकले। रैली में दिव्यांगजन एवं तृतीय लिंग समुदाय भी उत्साह के साथ रैली में शामिल हुए। सभी ने रैली में चला रईगढिय़ा वोट देवईया जैसे नारों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरुक करते हुए मतदान करने की अपील की।

मतदान के लिए कलेक्टर सिन्हा ने दिलाई शपथ- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने लोगों से मतदान हेतु शपथ दिलाई। सभी ने शपथ लिया कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

जिले भर में चला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम- स्वीप सतरंगी माह कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय के साथ विभिन्न विकासखण्डों में मतदाता जागरूकता रैली, व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में एसडीएम द्वारा खरसिया के शास. महात्मा गांधी स्नातकोतर महाविद्यालय, तमनार के शास.महाविद्यालय, विष्णुचरण गुप्ता शास. महाविद्यालय पुसौर, नवीन शास.महाविद्यालय कुसमुरा में मतदाता जागरूकता हेतु व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसी प्रकार एसडीएम लैलूंगा द्वारा शास.कन्या उ.मा.वि के छात्राओं के साथ सायकल रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसी तरह जिले के विभिन्न ब्लॉकों के महाविद्यालयों में रैली एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने ओड़िसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बरगढ़ जिले में आयोजित हुई बॉर्डर मीटिंग

- बेहतर समन्वय के साथ मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, दोनों राज्य में लुक छिप कर रह रहे बदमाशों पर होगी कार्रवाई

रायगढ़ । प्रस्तावित विधानसभा के मद्देनजर आज जिला बरगढ़ (ओड़िसा) में रायपुर रेंज, रायगढ़ रेंज, संबलपुर (ओड़िसा) रेंज के अधिकारियों के बीच अंतरराज्यीय बॉर्डर मीटिंग आयोजित किया गया था। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक संबलपुर नॉर्दन रेंज डॉ दीपक कुमार, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज आरिफ एच शेख, डीआईजी रायगढ़ राम गोपाल गर्ग समेत छत्तीसगढ-उड़ीसा के सीमावर्ती जिले के सभी पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों राज्यों की पुलिस में बेहतर समन्वय एवं सहयोग पर चर्चा हुआ। बैठक में दोनों राज्यों की सीमाओं पर बैरियर लगाकर 24 घंटे नाकेबंदी, मादक पदार्थों एवं अवैध संपत्ति की तस्करी रोकने सूचनाएं आदान-प्रदान के साथ कार्यवाही में सहयोग तथा दोनों राज्यों के फरार आरोपी एवं वारंटियों की सूची सौंपकर बदमाशों की धरपकड़ के लिये हर संभव मदद पर सहमति बनी। अंतरराज्यीय बॉर्डर मीटिंग में ओड़िसा के सीमावर्ती जिलों के सभी पुलिस अधीक्षक तथा छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, सक्ति एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ सम्मिलित हुए।

उद्यानिकी फसलों के लिए कृषक 16 अगस्त तक करा सकते है बीमा

रायगढ़। उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषको के लिए खरीफ फसल हेतु टमाटर, बैगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक के लिये वर्ष 2023-24 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। रायगढ़ जिले के ईच्छुक ऋणी/अऋणी कृषक 16 अगस्त 2023 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है। इस हेतु बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि कपिल विश्वकर्मा मोबाईल नं.-7906655061 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि संजीव कुमार साहू मो.न.-7489601443 से संपर्क कर सकते है।

सहायक संचालक उद्यान कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार), जो इस योजना मे शाामिल होने के ईच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रुप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ऋणी कृषक जो योजना मे शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान मे अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा मे हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम (खरीफ) के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रुप से बीमाकृत किया जाएगा।

किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे-तापमान (कम या अधिक तापमान), वर्षा-(कम, अधिक या बेमौसम वर्षा), बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि), ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाएँ, हवा की गति, से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। खरीफ मौसम में ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 1800-419-0344 पर या लिखित रुप मे 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व/उद्यानिकी/कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। संबंधित संस्था/विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। कृषक द्वारा लगाये गये फसल का केवल एक बार ही बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। एक रकबे को एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति मे बीमा कम्पनी द्वारा ऐसे सभी दावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

कापू के बंधनपुर गांव में घर के पीछे मिला युवती का शव, मृतिका का पिता और तथाकथित प्रेमी निकले युवती के हत्यारे

- हत्या और साक्ष्य छुपाने के अपराध में कापू पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़। थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंधनपुर के झांझपारा में रहने वाले रामरतन चौहान (उम्र 55 साल) द्वारा 30 जुलाई के सुबह थाना कापू आकर उसकी बेटी को टिकली चौहान (20 साल) का शव उसके घर के पीछे मकरतेंदू टिकरा में पड़े होने की सूचना देकर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया, सूचना पर मर्ग कायम कर तत्काल थाना प्रभारी कापू अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव की स्थिति से मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराये।

मर्ग जांच दौरान सूचनाकर्ता मृतिका के पिता राम रतन चौहान ने बताया कि 28 जुलाई के शाम लड़की टिकली चौहान फोन पर बात करते-करते घर से निकली और फिर वापस नहीं आयी जिसे रिश्तेदारों में पता किए कहीं पता नहीं चला। वहीं जांच दौरान मृतिका के जीजा छोटे लाल ने पूछताछ में बताया कि 28 जुलाई के शाम जब टिकली घर से निकली तो उसके पीछे पीछे टिकली के पिता राम रतन चौहान भी गया था। दोनों के बयान पर पुलिस को शंका हुआ। संदेही राम रतन चौहान से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ही उसकी बेटी टिकली को उसके तथाकथित प्रेमी बिके सिंह यादव के साथ मिलकर हत्या कर देना और लोक लाज के डर से लड़की के शव को मकरतेंदु टिकरा के गड्ढा में डाल देना बताया। मर्ग जांच पर दिनांक 01.08.2023 को थाना कापू में आरोपी बिके सिंह यादव व आरोपी रामतरन पर धारा 302, 34 आईपी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अपराध विवेचना दौरान कापू पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी बिके सिंह यादव की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिससे हिकम्मत अमली से पूछताछ करने पर घटना का वृतांत बताया कि 28 जुलाई के रात्रि टिकली चौहान उससे मिलने मकरतेंदू टिकरा आई जिसके पीछे पीछे उसका पिता राम रतन चौहान भी आया था। टिकली चौहान ने बिके यादव की ओर से गर्भवती होना बताकर, बिके को साथ रखने बोली। बिके सिंह ने टिकली को उसके पेट में उसका बच्चा होने से इंकार किया और साथ रखने से मना किया। उन दोनों की बातें सुनकर टिकली का पिता आग बबूला हो गया और टिकली को बदनामी करा रही है कहकर मारपीट कर घर ले जाने खींचने लगा। टिकली घर जाने से इंकार कर खींचतान करने लगी, उसी दौरान टिकली का पहना कपड़ा राम रतन राम रतन के हाथ में आया और रामरतन उसी कपड़े से उसकी बेटी का गला घोंटने लगा पास खड़ा। बिके यादव भी टिकली को काबू में लाने राम रतन की मदद करने लगा और टिकली जब अचेत होने लगी और इन्हें एहसास हुआ कि टिकली की मौत हो चुकी है।

तब दोनों अपराध को छुपाने दोनों सुनियोजित तरीके से पास गड्ढे में टिकली का शव डाल दिए और गांव के एक युवक को हत्या के अपराध में फंसाने टिकली के कॉपी के पन्ने फाड़कर पत्र लिखें थे। कापू पुलिस द्वारा जांच में मृतिका और आरोपियों के मोबाइल तथा मृतिका का हैंड राईटिंग लेने एक कॉपी जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपियों द्वारा साक्ष्य छिपाने तथा झूठी रिपोर्ट कराना पाये जाने पर धारा 182, 211, 201, 120(B)आईपीसी जोड़कर आरोपी (1) बिके सिंह यादव पिता पानिक राम यादव उम्र 29 साल (2) रामरतन चौहान पिता शिवनाथ चौहान उम्र 50 साल निवासी बंधनपुर झांझपारा थाना कापू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

हर तिरंगा अभियान के महत्व को जागरूक करने डाकघरों में हो रही झंडों की बिक्री

रायगढ़। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग देश भर में अपनी पहुंच और जनशक्ति का उपयोग करते हुए हर घर तिरंगा अभियान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने देश के 1.6 लाख डाक घरों से झंडा का बिक्री किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिक विभाग की ई-पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी झंडा ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मुख्य डाकघरों में सेल्फी प्वाइंट लगाया जाएगा तथा आने वाले ग्राहकों को सेल्फी लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और लोगों को हर घर तिरंगा हैशटैग के साथ इंडिया पोस्ट के सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी सेल्फी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वत्र्तमान में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर के मुख्य डाकघरों में मात्र 25 रूपए के दर पर झंडों की बिक्री आज से किया जा रहा है तथा शीघ्र ही अन्य डाकघरों में यह सेवा शुरू किया जाएगा।

रोजगार मेले से स्थानीय युवाओं को मिल रहा रोजगार, 4 माह में 1150 से अधिक को मिला जॉब ऑफर

- युवाओं को दिया गया 1.80 करोड़ रूपये बेरोजगारी भत्ता, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दे रहे
- तकनीकी नवाचार ‘रायगढ़ रोजगार मितान’ पोर्टल से आवेदन करना हुआ आसान, मैसेज से भी आवेदक को मिल रही सूचना
- रोजगार मेलों ने कई युवाओं के लिए खोली स्वावलंबन की राह

रायगढ़। जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैय्या कराने के लिए जिला प्रशासन कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिए जिले में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। बीते 4 माह में लगे शिविरों में 1150 से अधिक युवाओं को स्थानीय उद्योगों एवं कंपनीज में रोजगार मिला है। अप्रैल माह में तमनार में वृहत रोजगार मेला लगाया गया था। जहां एक ही दिन में मेले में पहुंचे 710 युवाओं को कंपनीज द्वारा जॉब दिया गया था।

गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक लेकर अधिक से अधिक वेकेन्सी जारी कर स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है। जिसके आधार पर समय-समय पर रोजगार मेला, काऊंसिलिंग शिविर जैसे आयोजन किए जा रहे है। जहां आवेदकों को कंपनी से सीधा संवाद का मौका मिल रहा है तथा कई कंपनियों में भर्ती की प्रक्रिया एक साथ हो रही है। जिसका लाभ स्थानीय युवाओं को मिल रहा है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के विभागों द्वारा किए जा रहे समन्वित प्रयास का नतीजा है कि अब रायगढ़ जिले के युवाओं को यहां स्थापित उद्योगों और कंपनियों में काम मिल रहा है। रोजगार मेले के आयोजन की प्रक्रिया को आवेदकों हेतु आसान करने के लिए तकनीकी नवाचार करते हुए ‘रायगढ़ रोजगार मितान’ पोर्टल भी बनाया गया है। जहां एक बार रजिस्ट्रेशन कर हितग्राही को इन मेलों में सीधे शामिल होने की सुविधा मिल रही है। वहीं आने वाले वैकेंसी की जानकारी भी वे पोर्टल पर देख पा रहे हैं।

बेरोजगारी भत्ते के साथ दे रहे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शासन द्वारा पात्र पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। जिले में अब तक 2553 हितग्राहियों को 1.80 करोड़ रुपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जिसमें उन्हें डोमेस्टिक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स ऐसोसिएट, सेविंग मशीन ऑपरेटर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर जैसे ट्रेड का प्रशिक्षण लाईवलीहुड कालेज में दिया जा रहा है।

रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल के नवाचार से रोजगार मेले में शामिल होना हुआ आसान- युवाओं को रोजगार मेले से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा ‘रायगढ़ रोजगार मितान’ वेबपोर्टल बनाया गया है। पोर्टल में पंजीयन करने पर आवेदक का एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। जिसमें उसकी बेसिक जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दर्ज रहेगी। इसका लाभ यह होगा कि आवेदक को रोजगार मेले में शामिल होने के लिए बार बार पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं होगी। वह मेले के रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाकर अपनी जानकारी देकर सीधे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन का एक फायदा यह भी होगा कि रोजगार मेला आयोजन पर उसमें शामिल वेकेंसी अथवा जॉब कैटेगरी के आवेदकों को उसका नोटिफिकेशन उनके फोन पर मिलेगा। जिसमें किसी भी तरह की वेकेंसी आने पर या रोजगार मेला आयोजन या उससे संबंधित योग्यता रखने वाले अथवा उस जॉब कैटेगरी के आवेदकों को मेले के वेकेंसी के बारे में सूचना चली जायेगी। जिसकी पूरी डिटेल वे पोर्टल पर लॉगिन कर कैंडिडेट डैशबोर्ड से भी देख सकेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480